सेव

ऑन लाईन नं. GCMS 2020/00036

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 10/2020

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर(हाल सिरोही)।

वनाम

1. नरेन्द्र सहारण पुत्र जय सिंह सहारण, उम्र 29, जाति जाट, निवासी–423 हॉम लेन्ड प्रथम, सूरतगढ रोड, जिला श्रीगंगानगर। (एफबीओ एवं मालिक)
   फर्मः– मैसर्स– चौधरी रेस्टोरेंट, एनएच 62, गणेश मंदिर के पास, नेतेवाला,जिला श्रीगंगानगर।
2. तरूण कुमार। (एफबीओ एवं सप्लायर)
   सप्लायर फर्मः– गौरव सैल्स एजेन्सी, नोहरा न. 83 ओल्ड धानमंडी, वैक साईड लक्कड़ मंडी रोड, श्रीगंगानगर।
3. रिचा शर्मा, 401, धन श्री टावर–2, सेन्ट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर। (एफ वी ओ एवं सप्लायर)
   सप्लायर फर्मः– मां शारदा एन्टर प्राईजेज, एच 148, भारत गैस के पीछे, वी.के. आई एक्सटैक्सन, रोड न. 14 बदराना, जयपुर, जिला जयपुर।
4. रचिता सिंह, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत। (एफबीओ एवं नोमिनी निर्माता फर्म)
   निर्माता फर्मः– ओम साईं फूड्स एंटरप्राईजेज, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत।
5. निर्माता फर्मः– ओम साईं फूड्स एंटरप्राईजेज, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत। जरिए (एफबीओ एवं नोमिनी निर्माता फर्म) रचिता सिंह, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय **दिनांकः 09.01.2026**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.02.2018 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें क्रम सं. 23 पर मेरा नाम अंकित है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर आवंटित किया गया था, श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते थे। अधिसूचना ऐरिया नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन आदेश की फोटो प्रति सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.02.2018 को समय 2:00 बजे (पी.एम.) पर **फर्म मै. चौधरी रेस्टोरेन्ट, एन एच 62, गणेश मन्दिर के पास, नेतेवाला, जिला श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया तथा परिचय लिया। परिचय लेने पर मालूम हुआ कि वह व्यक्ति नरेन्द्र सहारण पुत्र जय सिंह सहारण, उम्र 29, जाति जाट,

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निवासी–423, हॉम लेन्ड प्रथम, सूरतगढ रोड, जिला श्रीगंगानगर का निवासी है एवं फर्म चौधरी रेस्टोरेन्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है, एवं **टोमेटो कैचअप (नव्या ब्राण्ड)** का उपयोग खाना बनाने एवं खाना बनाकर बेचने में करता है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ **टोमेटो कैचअप (नव्या ब्राण्ड)** के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की, स्टोर की अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजुद **टोमेटो कैचअप (नव्या ब्राण्ड)** 1kgx10 पैक्ड ग्लास बोतलों में से 4x1kg पैक्ड ग्लास बोतलें **टोमेटो कैचअप (नव्या ब्राण्ड)** खरीदा, टोमेटो कैचअप (नव्या ब्राण्ड) की कीमत 440 रू अदा की एवं खरीद रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5 ए तैयार किया, खाद्यकारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराए, एवं स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्यकारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराए एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात् चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया, तत्पश्चात खरीद शुदा **टोमेटो कैचअप (नव्या ब्राण्ड)** की पैक्ड चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप K-885 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य करोबारकर्ता के हस्ताक्षर, व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वंय भी अपने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्यकारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्यकारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबार कर्ता नरेन्द्र सहारण ने पढ़कर सुन कर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई, मूल मौका फर्द रिपोर्ट सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म VI की 8 प्रतियां तैयार की उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म VI की एक–एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग–अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बान्धा, ऊपर नीचे, आजू, बाजू सील चपड़ी किया तथा फार्म 6 की दो–दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग–अलग बन्द कर गॉंद से चिपकाई नमूने के चारों भागों एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 08.02.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा ललित कुमार डीईओ द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 07.02.2018 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ.कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को स्वंय ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./163/Act/2018/258 Dated 21.02.2018 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-885 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण

1. नरेन्द्र सहारण पुत्र जय सिंह सहारण, उम्र 29, जाति जाट, निवासी–423 हॉम लेन्ड प्रथम, सूरतगढ रोड, जिला श्रीगंगानगर। (एफबीओ एवं मालिक)
   फर्मः– मैसर्स– चौधरी रेस्टोरेंट, एनएच 62, गणेश मंदिर के पास, नेतेवाला,जिला श्रीगंगानगर। (एफबीओ एवं सप्लायर)
2. तरूण कुमार।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सप्लायर फर्मः— गौरव सैल्स एजेन्सी, नोहरा न. 83 ओल्ड धानमंडी, बैक साईड लक्कड़ मंडी रोड, श्रीगंगानगर।

3. रिचा शर्मा, 401, धन श्री टावर—2, सेन्ट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर।
(एफ बी ओ एवं सप्लायर)

सप्लायर फर्मः— मां शारदा एन्टर प्राईजेज, एच 148, भारत गैस के पीछे, वी.के. आई एक्सटैक्सन, रोड न. 14 बदराना, जयपुर, जिला जयपुर।

4. रचिता सिंह, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत।
(एफबीओ एवं नोमिनी निर्माता फर्म)
निर्माता फर्मः— ओम साईं फूड्स एंटरप्राईजेज, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत।

5. निर्माता फर्मः— ओम साईं फूड्स एंटरप्राईजेज, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत। जरिए (एफबीओ एवं नोमिनी निर्माता फर्म) रचिता सिंह, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत।

द्वारा अमानक स्तर का **टोमेटो कैचअप (नव्या ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.03.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मेरी फर्म मैसर्स गौरव सेल्स ऐजन्सी, नोहरा सं. 83, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर द्वारा फूड लाइसेंस सं. 12214024000552 एंव जीएसटी सं. 08BCDPK5746B1ZS रजिस्टर करवाया हुआ है जो कि फर्म खाद्य उत्पादों को क्रय—विक्रय करने हेतु अधिकृत है। फर्म द्वारा प्रश्नगत उत्पाद का क्रय बीजक सं. 001045 दिनांकित 25/01/2018 को माँ शारदा एन्टरप्राइजेज जयपुर से किया गया तथा बीजक सं. 1547 दिनांकित 01/02/2018 द्वारा इस उत्पाद को मैसर्स चौधरी रेस्टोरेन्ट श्रीगंगानगर को विक्रय किया गया। प्रश्नगत उत्पाद टमोटो केचप नव्या ब्रान्ड बैच सं. BC01 पूर्व में ही लैब जांच में निर्धारित मानकों को पूरा कर विक्रय हेतु स्वीकृत था। उत्पाद टमोटो केचप नव्या ब्रान्ड की जांच हेतु सैंपल लिये जाने के समय उस पर चस्पा लेबल में बैच सं. BC01 तथा अन्य जानकारियां पूर्ण रूप से उपलब्ध थी और वही जानकारियां जांचकर्ता द्वारा Form VA में भी दर्ज की गयी। लैब जांच रिपोर्ट में प्रश्नगत उत्पाद टोमेटो केचप नव्या ब्रान्ड लेबल में जानकारियां ना होने का आधार लेते हुए मिस ब्रांड बताया गया जिस पर हमारे द्वारा यह प्रश्न उठाना बिलकुल जरूरी व जायज है कि जिस वक्त उत्पाद को जांच हेतु उठाया गया था उस वक्त सभी जरूरी जानकारियां लेबल पर अंकित थी और लैब में पहुंचने पर उस पर अंकित जानकारियों का न पाया जाना शंका पैदा करता है। जांच हेतु लिया गया सैंपल जो कि सही प्रक्रिया, आकार और स्थिति में लिया गया था आगे उसके साथ लैब में जो भी गलत हुआ इसके लिए हमें जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। लैब द्वारा जारी मिस ब्रांड रिपोर्ट को स्वयं जांच अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दो बार पत्र लिख कर चुनौती दी थी। संबंधित पत्र सं. 5602 दिनांकित 28/09/2018 एंव पत्र सं. 2942 दिनांकित 29/03/2019 है जो कि शामिल पत्रावली हैं। प्रश्नगत उत्पाद टमेटो केचप नव्या ब्रान्ड बैच सं. BC01 को लैब रिपोर्ट में अन्य सभी मानकों पर खरा पाया गया है, विस्तरित जांच रिर्पाट शामिल पत्रावली है। इस पूरे प्रकरण में हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की कोई अवहेलना नहीं की गयी है। जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उत्पाद मानव स्वास्थ के लिए असुरक्षित नहीं है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। आपसे अनुरोध है कि वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया टोमेटो कैचअप (नव्या ब्राण्ड) का सैम्पल **K-885** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./163/Act/2018/258 Dated 21.02.2018 **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्तगण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Tomato Ketchup(Navyn)** bearing code No. K-885 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food Under Section 3[1][zf][e][i] of FSS Act, 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2[8] and 2.2.2(9) of FSS [Packaging and Labelling] Regulation 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण

1. नरेन्द्र सहारण पुत्र जय सिंह सहारण, उम्र 20, जाति जाट, निवासी–423 हॉम जोन्स प्रथम, (एफबीओ एवं मालिक) सूरतगढ़ रोड, जिला श्रीगंगानगर।
फर्मः– मैसर्स– चौधरी रेस्टोरेंट, एनएच 62, गणेश मंदिर के पास, मोतेवाला,जिला श्रीगंगानगर। (एफबीओ एवं सप्लायर)
2. तरूण कुमार।
सप्लायर फर्मः– गौरव सैल्स एजेन्सी, नोहरा न. 83 ओल्ड धानमंडी, बैक साईड लक्कड़ मंडी रोड, श्रीगंगानगर।
3. रिचा शर्मा, 401, धन श्री टावर–2, सेन्ट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर। (एफ बी ओ एवं सप्लायर)
सप्लायर फर्मः– मां शारदा एन्टर प्राईजेज, एच 148, भारत गैस के पीछे, वी.के. आई एक्सटेंशन, रोड न. 14 बदराना, जयपुर, जिला जयपुर।
4. रचिता सिंह, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर (एफबीओ एवं नोमिनी निर्माता फर्म) प्रदेश, भारत।
निर्माता फर्मः– ओम साईं फूड्स एंटरप्राईजेज, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत।
5. निर्माता फर्मः– ओम साईं फूड्स एंटरप्राईजेज, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत। जरिए (एफबीओ एवं नोमिनी निर्माता फर्म) रचिता सिंह, 6 सी/2बी/1, आजाद नगर, निर्मल अपार्टमेंट के पास, खंडारी आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत।

को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण को **राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)